"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 154] रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 अप्रैल 2016— चैत्र 29, शक 1938

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/14/2016/वाक/पांच (48). — यतः, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 74) की धारा 8 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारियों द्वारा उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के लिये तथा कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुये, कोई कर का भुगतान नहीं किया जायेगा, अर्थात् :-

अनुसूची

अ. क्र.	व्यापारियों के वर्ग	अवधि	निर्बन्धन तथा शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	छत्तीसगढ़ राज्य की इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति, 2014-19 के अंतर्गत राज्य में इकाईयां स्थापित करने वाले व्यापारी.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से 10 वर्ष की कालावधि के लिये, या छत्तीसगढ़ राज्य में माल और सेवा कर के लागू होने के दिनांक तक, जो भी पहले हो.	छत्तीसगढ़ राज्य की इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति, 2014-19 के समस्त उपबंध.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ-10/14/2016/वाक/पांच (48). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/14/2016/वाक/पांच (48), दिनांक 13-04-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 13th April 2016

NOTIFICATION

No. F-10/14/2016/CT/V (48). — Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary to do in public interest;

Now, Therefore, In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government, hereby, directs that no tax shall be paid by dealers specified in column (2) of the Schedule below, for the period specified in column (3) and subject to restrictions and conditions specified in column (4) of the said Schedule, namely :-

SCHEDULE

S. No.	Class of Dealers	Period	Restrictions and Conditions
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dealer establishing a units in the State under the Electronics, IT and ITeS Investment Policy of Chhattisgarh, 2014-19.	For a period of 10 years from the date of commencement of commercial production, or up to the date of coming into force of Goods and Service Tax in the State of Chhattisgarh, whichever is earlier.	All provisions of the Electronics, IT and ITeS Investment Policy of Chhattisgarh, 2014-19.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/14/2016/वाक/पांच (49). — यत:, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक हैभ;

अतएव, छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारियों के वर्ग को, उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्टअवधि के

के लिये तथा कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुये, कर के भुगतान से पूर्णत: छूट प्रदान करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

अ. क्र. (1)	व्यापारियों के वर्ग (2)	अवधि (3)	निर्बन्धन तथा शर्तें (4)
1.	छत्तीसगढ़ राज्य की इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति, 2014-19 के अंतर्गत राज्य में इकाईयां स्थापित करने वाले व्यापारी.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से 10 वर्ष की कालावधि के लिये, या छत्तीसगढ़ राज्य में माल और सेवा कर के लागू होने के दिनांक तक, जो भी पहले हो.	छत्तीसगढ़ राज्य की इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति, 2014-19 के समस्त उपबंध.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ-10/14/2016/वाक/पांच (49). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/14/2016/वाक/पांच (49), दिनांक 13-04-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 13th April 2016

NOTIFICATION

No. F-10/14/2016/CT/V (49). — Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary to do in public interest;

Now, Therefore, In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Chhattisgarh Stahaniya Kshetra Me Mal Ke Prevesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, exempts in whole from payment of tax the class of dealers specified in column (2) of the Schedule below for the period specified in column (3) and subject to restrictions and conditions specified in column (4) of the said Schedule, namely :-

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of Dealers (2)	Period (3)	Restrictions and Conditions (4)
1.	Dealer establishing a units in the State under the Electronics, IT and ITeS Investment Policy of Chhattisgarh, 2014-19.	For a period of 10 years from the date of commencement of commercial production, or up to the date of coming	All provisions of the Electronics, IT and ITeS Investment Policy of Chhattisgarh, 2014-19.

(1)	(2)	(3)	(4)
		into force of Goods and Service Tax in the State of Chhattisgarh, whichever is earlier.	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/14/2016/वाक/पांच (50). — यत:, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, छत्तीसगढ़ मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) की धारा 15-ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारियों के वर्ग को, उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के लिये तथा कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुये, कर के भुगतान से पूर्णत: छूट प्रदान करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

अ. क्र. (1)	व्यापारियों के वर्ग (2)	अवधि (3)	निर्बन्धन तथा शर्तें (4)
1.	छत्तीसगढ़ राज्य की इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति, 2014-19 के अंतर्गत राज्य में इकाईयां स्थापित करने वाले व्यापारी.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से 5 वर्ष की कालावधि के लिये, या छत्तीसगढ़ राज्य में माल और सेवा कर के लागू होने के दिनांक तक, जो भी पहले हो.	छत्तीसगढ़ राज्य की इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति, 2014-19 के समस्त उपबंध.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ-10/14/2016/वाक/पांच (50). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/14/2016/वाक/पांच (50), दिनांक 13-04-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 13th April 2016

NOTIFICATION

No. F-10/14/2016/CT/V (50). — Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary to do in public interest;

Now, Therefore, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, exempts in whole from payment of tax the class of dealers specified in column (2) of the Schedule below for the period specified in column (3) and subject to restrictions and conditions specified in column (4) of the said Schedule, namely :-

SCHEDULE

S. No.	Class of Dealers	Period	Restrictions and Conditions
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dealer establishing a units in the State under the Electronics, IT and ITeS Investment Policy of Chhattisgarh, 2014-19.	For a period of 5 years from the date of commencement of commercial production, or up to the date of coming into force of Goods and Service Tax in the State of Chhattisgarh, whichever is earlier.	All provisions of the Electronics, IT and ITeS Investment Policy of Chhattisgarh, 2014-19.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.